न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 314/2024

अनवान : –

1. रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. रामेश्वर पुत्र बीरबलराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. सदेश पुत्र रामेश्वर जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय फेफाना तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री श्रवण कुमार अधिवक्ता **सायल**
2. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांक: 19/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 37 के प.न. 336/403 मु.न. 38 के किला नं. 5/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 6/2 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला, 15/2 की 0.0250 हैक्टर गै. मु. खाला, 16/2 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला, 25/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, प.न. 340/400 मु.न. 15 के किला नं. 15/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 16/1 की 0.2280 हैक्टर 16/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता 17 ता 19 की 0. 7590 हैक्टर भूमि 22 ता 24 की 0.7590 हैक्टर नहरी भूमि, 25/1 की 0.2280 हैक्टर 25/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, प.न. 340/401 मु.न. 28 के किला नं. 3 व 4 की 0.5060 हैक्टर नहरी भूमि, 5/1 की 0.2280 हैक्टर 5/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, प.न. 341/400 मुन. 14 के किला नं. 18 ता 20 की 0.7590 हैक्टर नहरी 21 व 22 की 0.5060 हैक्टर नहरी भूमि प.न. 341/401 मु.न. 29 के किला नं. 1/1 की 0.2280 हैक्टर, नहरी 1/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता 2/1 की 0.2280 हैक्टर नहरी, 2/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता 10 व 11 की 0.5060 हैक्टर कुल 31 किता की 5.1610 हैक्टर भूमि जिसमें सायल व गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:22:18 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा चक 16 जे.एस.एन. तहसी[illegible] नो[illegible] के खाता सं. 37 की कुल 31 किता की 5.1610 हैक्टर भूमि में साय[illegible] हिस्सा, गैरसायल[illegible] सं. 1 अकेला 3542/25805 हिस्सा, गैरसायल सं. 2 अकेला 253/[illegible]61 हिस्सा, दावा में [illegible]तिवादी सं. 3

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अकेली 7843/51610 हिस्सा दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 4 अकेला 5819/51610 हिस्सा मृतक जैरो के नाम दर्ज 47/5161 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 5 व 6 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 7 अकेला 253 / 25805 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 8 अकेला 119/51610 हिस्सा दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 9 अकेला 763/51610 हिस्सा दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 10 अकेला 723/5161 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 11 अकेली 723/5161 हिस्सा दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 12 अकेली 289/10322 हिस्सा दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 13 अकेला 289/10322 हिस्सा, भूमि के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि मुश्तरका तौर से है तथा सायल गैरसायलान नींव सीव व लगान काश्त सम्बधि व रास्ता बाबत हमेशा तनाजात बना रहता है। गैरसायल अपने हक व हिस्सा की भूमि को काफी सुधार कर उपजाउ बना रखा है इसलिए सायल वाद भूमि का खाता व लगान अलहदा–अलहदा करवा पाने का अधिकारी है। उपरोक्त आशयो कि सायल घोषणा करवापाने का अधिकारी है पम्मी पुत्र कृष्ण कुमार, धोलु पुत्र कृष्णकुमार जाति नायक निवासी सिसवाल तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा हाल निवास गुडिया तहसील नोहर का रहने वाला है तथा पम्मी व धोलु आज करीब 10 साल पहले ही सिसवाल हरियाणा से ग्राम गुडिया आये थे और अप्रार्थीगण ने सायल के पिता व स्वंय की ग्राम गुडिया वोटर लिस्ट लगाकर जाति प्रमाण पत्र व मुल निवास प्रमाण पत्र फर्जी तैयार करवाकर उपरोक्त फर्जी दस्तावेज जाति प्रमाण एवं मुल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर पम्म ने चक 16 जेएस.एन. के खाता सं. 184/ 129 की 1.2650 हैक्टर नहरी भूमि का फर्जी वैयनामा गैरसायल सं. 1 की मा व गैरसायल सं. 2 की दादा बख्तावर पत्नि बिरबल से अपने पक्ष में करवाया है धोलु ने गैरसायल सं. 1 व 2 से उपरोक्त फर्जी दस्तावेजात के आधार पर चक 16 जेएस.एन. के खाता सं. 37 की भूमि में से 3542/25805 हिस्सा एवं 253/6151 भूमि नहरी भूमि का बैयनामा अपने पक्ष में करवाया जिसमें उपरोक्त दोनो बैयनामो में सायल के पिता ख्यालीराम पुत्र छोगा के नाम की सन् 1980 वोटर लिस्ट लगाकर क्रेता ने सम्बध दादा होने बताया है लेकिन ख्यालीराम का पम्मी व धोलु के साथ कोई सम्बध् 1 नहीं है, तथा पम्मी व धोलु हरियाणा के निवासी है तथा हरियाणा में जाति नायक अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी में आती है। पम्मी व धोलु ने समस्त तथ्यों को छुपाकर अनुचित जाति की जमीन क्रय करने के लिए फर्जी तरीके से समस्त दस्तावेजात तैयार करके न्यायालय तहसीलदार राजस्व फेफाना से समस्त तथ्यो को छुपाकर अपने पक्ष में बैयनामा करवाया गया है जो फर्जी दस्तावेजा तैयार भूमि पम्मी व धोलु अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवानास चाहते है तथा पम्मी पुत्र कृष्ण कुमार, घोलु पुत्र कृष्णकुमार जाति नायक निवासी सिसवाल तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा हाल निवास गुडिया तहसील नोहर के द्वारा करवाये गये बैयनामा एवं जाति प्रमाण पत्र एवं मुल निवास प्रमाण पत्र की जाँच करवाई जावें। वाद भूमि का मुश्तरका खाता होने से गैरसायलान सायल की कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा करने पर आमादा है जबकि सायल ने अपने खेत की सींव डोल अलग–अलग कायम कर रखी है। भूमि को उर्वरा शक्ति बढाने के लिए मेहनत व रूपये खर्च की है। यदि गैरसायलान सायल की कब्जा काश्त में मदाखलत मै बैजा करते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति कारित होती है। इसलिए सायल गैरसायलान के विरूद्ध अस्थायी निषेधा[illegible] अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है वादग्रस्त भूमि को गैरसायला सं. [illegible] अलग–अलग नही हो जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:22:18 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तब वादग्रस्त भूमि का कोई भाग रहन / बैय मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे। उपरोक्त आशयों की सायल घोषणा करा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 37 की कुल 5.1610 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थी संख्या ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे। उक्त स्थगन के कारण नामान्तरण दर्ज नही हो रहा है एवं प्रार्थी द्वारा यह नामान्तरण रूकवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी केता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 37 की कुल 5.1610 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार [illegible] रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य अंकित के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:22:18 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 26.12.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:22:18 IST
Reason: SelfAttested